

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी करेड़ा व भू अभिलेख निरीक्षक करेड़ा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् २०१५-१०-२०१६ में खाता संख्या 1717 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं:-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	<u>करेड़ा</u>	<u>1717</u>	<u>राजकुमार श्री चौगला लखन्या नि- करेड़ा</u>	<u>राजकुमार श्री रामकुमार श्री चौगला लखन्या नि- करेड़ा</u>

उपखण्ड अधिकारी पदेन
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

क्रमांक:- न्यायालय / 2022 / 127

दिनांक:- 22/6/22

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री राजकुमार श्री रामकुमार श्री चौगला लखन्या नि- करेड़ा

2022/339

उपखण्ड अधिकारी पदेन
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा